

**न्यायालय – तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णियाँ**  
**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 338/2026**  
**सी.आई.एस. संख्या – 338/2026**

- 24.03.2026—** आवेदक अभियुक्तगण **मोमिका खातुन, नसीमा खातुन एवं तहसीन आलम** ओर से दिनांक 19.02.2026 को जलालगढ़ थाना काण्ड सं०—152/2025 अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 76, 303(2), 352, 351(2), 3(5) एवं 109 भारतीय न्याय संहिता में एक अग्रिम जमानत आवेदन श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को सेवित की गयी है तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार स्थानान्तरित होकर दिनांक 20.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता मो० एस०ए० शम्स, राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अजय कुमार सिंह एवं सूचिका के विद्वान अधिवक्ता श्री राजकिशोर चौरसिया को सुना।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की ओर से कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं की गयी है। आवेदकगण निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण के विरुद्ध अभियोग झूठा एवं बनावटी है। स्थानीय राजनीति के तहत आवेदकगण को इस वाद में फंसाया गया है। आवेदकगण के विरुद्ध का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के विरुद्ध अभियोग झूठा एवं बनावटी है। आवेदकगण के विरुद्ध सामान्य अभियोग लगाया गया है। यह वाद उभय पक्ष के बीच जलालगढ़ 153/25 पलटा वाद है। चोरी गयी सामान/आभूषण का कोई मूल्य नहीं है और न ही सूचक द्वारा प्राथमिकी कोई मूल्य अंकित किया गया है अतः धारा 76 बीएनएस सही नहीं पाया गया है। बीएनएस की धारा 109 जोड़ी गयी धारा है वाद में प्राथमिकी 22.07.2025 को दर्ज की गयी है जब कि उसी वाद में बीएनएस की धारा 109 दिनांक 29.01.2026 के जोड़ी गयी है। कथित वाद की घटना दिनांक 18.07.2025 की है और चार दिन की देरी से दिनांक 22.07.2025 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है जिसका कोई कारण नहीं बताया गया है। आवेदकगण को गिरफ्तार किये जाने की आशंका है। आवेदकगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदकगण को जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।
4. सूचिका ऐना खातुन के लिखित आवेदन के आलोक में अभियोजनवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.07.2025 को समय करीब 6 बजे शाम को सूचिका का पति मो० सकीम अपना खेत में धान का बीच वाला खेत में गया तो उधर से मो० सतीम एवं बरजो खातुन आकर उसके पति को गाली गलौज एवं धक्का—मुक्की करते हुए कहने लगा कि तुम मेरे खेत से केला का थान मेरे खेत से तुम अपना खेत में क्यों लाये। इसपर सूचिका का पति बोला कि हम नहीं लाये है ऐसा गाली क्यों दे रहे हो। इतने में मो० मोकिया, मो० तहसीन, मोकिया खातुन, नसीमा खातुन रक्को खातुन लाठी डंडा रड कुल्हाड़ी तलवार लेकर गाली—गलौज करते हुए आया और सभी मिलकर मेरे पति को मारपीट कर काफी जख्मी कर गिर दिया। हल्ला सुनकर मैं तथा मेरा लड़का बारीक लड़की रजिया खातुन बचाने दौड़कर गयी तो सभी मिलकर हम लोगों का मारपीट किया। बारीक को मोकिया ने कुल्हाड़ी से माथे पर मारा जिससे कुल्हाड़ी गाल के पास लगा और वह जख्मी हो गया, सूचिका के पति को तलवार से तहसीन मारकर माथा जख्मी कर दिया। मारपीट के क्रम में रजिया को मोकिया ने दबिया से मारकर जख्मी कर दिया और मो० सतीम

**न्यायालय – तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णियाँ**  
**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 338/2026**  
**सी.आई.एस. संख्या – 338/2026**

सूचिका के बदन का कपड़ा फाड़कर अर्धनग्न कर दिया और उसके कान का सोने का बाली गले से चांदी का हार ले लिया। सूचिका के पति का इलाज के लिए ले गयी वहाँ से रेफर पूर्णियाँ कर दिया।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

6. उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्तगण पर अभियोग है कि उन्होंने सूचिका, उसके पति व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लाठी, डंडा, दबिया और तलवार से मारपीट किया एवं मारपीट के क्रम में सूचिका के गले से आभूषण छीन लिया और सूचिका का कपड़ा लत्ता चीरफाड़ दिया। वाद की सुनवाई के अद्यतन काण्ड दैनिकी की मांग की गयी जो प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि कण्डिका 19 में जख्मी मो० सकीम जख्मी का जख्म गंभीर प्रकृति का पाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध विशिष्ट अभियोग लगाया गया है। वाद का अनुसंधान अभी जारी है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग गंभीर है।

07. उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों में आवेदक अभियुक्तगण सीधी संलिप्तता को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आवेदक अभियुक्तगण **मोमिका खातुन, नसीमा खातुन एवं तहसीन आलम** का अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

**दिनांक-24.03.2026**

(लेखापित)

ह०/-

(ठाकुर अमन कुमार)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,  
तृतीय पूर्णियाँ।

-